भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 4455**

दिनांक 12 अगस्त, 2016 को उत्तर के लिए

**बालचर्या सेवा को बढ़ावा देना**

**4455. श्री कलिकेश एन. सिंह देव :**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में कार्य करने वाली माताओं, जिनके बच्चे छोटे हैं, के लिए बालचर्या सेवाओं, सरकार द्वारा प्रायोजित शिशु सदनों एवं सामुदायिक केंद्रों को बढ़ावा देना सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या पहलें की गई/प्रायोजित हैं ?

**उत्तर**

**श्रीमती कृष्णा राज** **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

(क) और (ख) :

(i) राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम (आर.जी.एन.सी.एस) उन कामकाजी महिलाओं तथा अन्य पात्र महिलाओं जिनकी मासिक आय 12,000/-रुपये से अधिक नहीं है, के बच्चों (0-6 वर्ष के आयु वर्ग) को दिवस देखरेख सुविधाएं प्रदान करने के लिए 01 जनवरी, 2006 से एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में आरंभ की गई थी । इस स्कीम में शयन सुविधाओं, अनुपूरक पोषण, प्रतिरक्षण जैसे स्वास्थ्य देखरेख इनपुट्स तथा मूल स्वास्थ्य निगरानी, 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन, 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल-पूर्व शिक्षा आपातकालीन औषधियां तथा आकस्मिकताओं सहित दिवस देखरेख सुविधाओं का प्रावधान है । वर्तमान में यह स्कीम मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा भारतीय बाल कल्याण परिषद और राष्ट्रीय स्तर के एक गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है ।

इस स्कीम को 12वीं पंचवर्षीय योजना के शेष भाग के दौरान जारी रखने के लिए वित्तीय मानदंडों में वृद्धि करके संशोधित किया गया है । संशोधित मानदंड 01.01.2016 से प्रभावी है । संशोधित स्कीम के अनुसार, उन कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष तक के आयु-वर्ग के बच्चों को शिशु-गृह सुविधा प्रदान की जाती है जिन्हें माह में न्यूनतम 15 दिन अथवा वर्ष में 6 माह के लिए नियोजित किया गया है । सरकारी सहायता योजनाबद्ध पद्धति के 90**%** अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, तक सीमित है तथा शेष 10**%** व्यय वास्तविक रूप से शिशुगृह संचालित करने वाली संस्था/संगठन द्वारा वहन किया जाता है । सरकार द्वारा प्रदान किया गया अनुदान 25 बच्चों के लिए प्रति शिशुगृह 1,36,440/-रुपये प्रतिवर्ष है।

(ii) 6-72 माह की आयु वाले उन बच्चों की देखरेख तथा विकास को सुनिश्चित करने के लिए जिनकी माताएं काम पर जाती हैं, भारत सरकार ने **XII**वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों (ए.डब्ल्यू.सी) के 5**%** आंगनवाड़ी केंद्रों को शिशुगृह में परिवर्तित करने को अनुमोदित कर दिया है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों के चयन में नम्यता प्रदान कर दी है ।

(iii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याण उपाय के रूप में शिशु गृह चलाता है । गृह कल्याण केंद्र(जीकेके) के माध्यम से 14 शिशुगृह चलाए जा रहे हैं तथा इसमें दिल्ली के 11 शिशुगृह भी शामिल हैं ।

(iv) डाक विभाग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वे पूरे देश के 5 शिशुगृहों को कल्याण स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान करते हैं ।

(v) उपर्युक्त के अतिरिक्त, शिशुगृह सुविधा एमजीआईआरआई (सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय); आईटीआई लि. नैनी, रायबरेली, मानकपुर, बेंगलुरु तथा पल्लाकाड (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय); श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम; उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जवाहरलाल नेहरु केंद्र, बेंगलुरु; रमण अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु; एस.एन.बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र, कोलकाता, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बेंगलुरु तथा इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग); तथा मुम्बई और कोची रिफाइनरी में बीपीसीएल (पैट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय) में भी उपलब्ध हैं ।

(ग) : सरकार ने, मंत्रालय/विभाग/संगठनों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की भागीदारी से सचिव, महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में बच्चों के लिए शिशुगृह तथा दिवस देखरेख सुविधाओं और इसकी निधियन प्रणाली आदि के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु विस्तृत कार्यक्रम/नीति/दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए एक कार्य दल गठन किया है ।

*****